



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227200
CG-DL-E-27052021-227200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1876]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943

No. 1876]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISTHA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2021

का.आ. 2013(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं० 443, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख फरवरी 2, 2021 में पृष्ठ सं० 1 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 485 (अ) तारीख फरवरी 2, 2021 के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला - उन्नाव, तहसील - उन्नाव	राज्य : उत्तरप्रदेश
के स्थान पर	पढ़ा जाये
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**ERRATUM**

New Delhi, the 6th April, 2021

S.O. 2013(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby makes the following amendment in paragraph 6 in the Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 485 (E) dated February 2 2021, published at page 1 in part II, Section – 3, Sub – Section (ii) of the Gazette of India No. 443 dated February 2, 2021, namely:-

SCHEDULE

District : UNNAO, Tehsil : Unnao	State : UTTAR PRADESH
For	Read
Indian Oil Corporation Limited	IHB Private Limited

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.